

2.8.17

मह. 7.2 प्रायग पत्र डॉ. हरेंद्र शर्मा एवं न
धेरा की गई। रिपोर्टे अबलमद का अवलोकन
क्रिया गया। प्रायग पत्र 7.2 दर्ज शरिस्टर डेकर
रुलवी जैर सामल की जाकर पत्रावली खिगाके
7-9-17 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर

उभयपक्ष उपस्थित। P.O. रामनवास (सं. मा०)

7/2/17

अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/उपस्थित कर
है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आ. शानुसार
दिनांक 23.11.17 को पेश हो।

23/1/18

उभयपक्ष उपस्थित। P.O. रीडर
अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/उपस्थित कर
है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आ. शानुसार
दिनांक 18.1.18 को पेश हो।

रीडर

18.1.18

उभयपक्ष उपस्थित। P.O. रामनवास
अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/उपस्थित कर
है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आ. शानुसार
दिनांक 1.2.18 को पेश हो।

रीडर

1.2/18

पत्रावली पेश हुई। वकील जैर सामल उप० है। सामल
एवं सामल के आधीवक्ता उप० नई होने के कारण
मूल दावा अदम एणरी में खारिज किया जा चुका
है। अतः प्रायग पत्र अस्थाई निषेधज्ञा अजि
नमाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रायग
पत्र अस्थाई निषेधज्ञा खारिज किया जाता है।
पत्रावली फेल्ल शूमार बेकर बाद तकमिल
वाफर वाखिल की जावे।

उप जिला कलेक्टर
रामनवास (सं. मा०)